## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 23/2021

*उनवान*

गोविन्द बनाम गोगा

---

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 114 सी.पी.सी.

---

–: आदेश :– दिनांक :– 21.7.25

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने पूर्व में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. 1955 का पेश कर ग्राम व पटवार मण्डल लवेरा के खसरा नम्बर 1939 रकबा 0.10 की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1803 में से होकर हाल खसरा नम्बर 1868/2764 व 1941 व 1946 सिवायचक आराजी तथा खसरा नम्बर 1940 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की खातेदारी है में से 30 फिट चौडा रास्ता चाहा था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.22 को आदेश पारित कर प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1940 में से 8 गुना 18 मीटर, 1941 में से 8 गुणा 10 मीटर व खसरा नम्बर 1914 में से 10 गुणा 68 मीटर रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। हाल खसरा नम्बर 1868/2764 से आवागमन मात्र 20 फिट की लंबाई में होने के बावजूद गिरदावर हल्का द्वारा बिना पक्षकारों की उपस्थिति के व सुनवाई का अवसर दिये मिली भगत कर मौका रिपोर्ट पेश कर दी। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1868/2764 व 1941 व 1946 में से रास्ता चाहा था किन्तु न्यायालजय ने गंभीर कानूनी भूल कर आक्षेपित आदेश जारी किया है। न्यायालय द्वारा दिया गया मार्ग 400 फिट दूर है। जबकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग मात्र 20 फिट लम्बा है। अतः प्रकरण में सही व वास्तविक मौका रिपोर्ट तलब कर पूर्व में पारित आदेश को रिव्यू किया जा कर नवीन सिरे से आदेश पारित करावे।

अप्रार्थी संख्या 16 ने जवाब रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1939 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। 1914 व 1941 सिवायचक है जिस पर प्रार्थी का अतिक्रमण है। खसरा संख्या 1914 रास्ते के खसरा संख्या 1899 से लगता हुआ है। खसरा नम्बर 1803 में से रास्ता बहुत दूर है। पूर्व में पारित आदेश बिधिवत है। खसरा नम्बर 1946 नहर है जिससे खेतों की सिचांई होती है। आज भी मौके पर पानी भरा हुआ है। जिसमें से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। खसरा नम्बर 1868/2764 राजस्व अभिलनेख में गै.मु. श्मशान है। उक्त खसरा नम्बर पर सघन आबादी बसी है। प्रार्थी सरकारी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रकरण में कोई दस्तावेज, कानूनी बिन्दू नही छूटे है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम व पटवार मण्डल लवेरा के खसरा नम्बर 1939 रकबा 0.10 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 1940 रकबा 0.02 की आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 16 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 1868/2764 रकबा 3.56 किस्म गै० मु० श्मशान, खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.29 किस्म गै० मु० मोरी व खसरा नम्बर 1941



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रकबा 0.05 किस्म बारानी 3 सिवायचक खाते में दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद व भू अभिलेख निरीक्षक लवेरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी वर्तमान में खसरा नम्बर 1940, 1941 व 1914 से होकर खसरा नम्बर 1899 रास्ते पर आता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के सामने सरकारी नहर खसरा नम्बर 1946 है जो 6 फिट चौडी व 4 फिट गहरी है। जिससे ग्रामवासियों के खेतों की सिचांई होती है। इस तरफ से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। खसरा नम्बर 1868/2764 रेकार्ड में गै0 मु0 श्मशान है जिस पर आबादी बसी हुयी है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1946 है की किस्म नहर है जो 6 फिट चौडी व 4 फिट गहरी है। जिससे ग्रामवासियों के खेतों की सिचांई होती है। तथा खसरा नम्बर 1868/2764 रेकार्ड में गै0 मु0 श्मशान है जिस पर आबादी बसी होने के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 1939 के लिये खसरा नम्बर 1940, 1941 व 1914 में से रास्ता दिया गया था। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये पूर्व में गुणावगुण पर आदेश पारित किया गयाा था। प्रार्थी द्वारा पूर्व में मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गयी थी। प्रकरण में किसी तथ्य व दस्तावेज को नजर अंदाज नही किया गया है। प्रार्थी ने यह स्पष्ट नही किया है कि न्यायालय द्वारा कौंन से कानूनी बिन्दु की पालना नही की है तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश में कौन सी भूल की है। रिव्यू प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना किसी कारण अथवा कानूनी बिन्दू के पूर्व आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद